दौरान गुजरात स्थित बड़े मध्यम औद्योगिक घरानों में 54 गम्भीर दुर्घटनाएं घटी।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) जी, हां।

विनिर्माण कार्य में लगे व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित उपबंध कारखाना अधिनियम, 1948 और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अंतर्विष्ट किए गए हैं। कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन, माडल नियम बनाए गए हैं और गुजरात सरकार ने अपने कारखाना नियमों के अंतर्गत उनके संबंध में मसौदा अधिसूचना जारी कर दी है। उपर्युक्त के अलावा, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन जोखिमकारी रसायन का विनिर्माण, भण्डारण और आयात नियमावली (एम एस आई एच सी), 1989 अधिसूचित किये गये हैं, और मुख्य कारखाना निरीक्षक के माध्यम से राज्य में प्रवर्तित किये जा रहे हैं। इन नियमों में प्रमुख दुर्घटना जोखिम इकाईयों के आधीष्ठाताओं द्वारा विशिष्ट उपाय अपनाये जाने का प्रावधान है। गुजरात के कारखाना निरीक्षकों को ऐसे कारखानों का तिमाही में कम से कम एक बार दौरा करने के निदेश दिये गये हैं। राज्य में गठित "सुरक्षा प्रकोष्ठ" के अधिकारी भी स्थानीय कारखाना निरीक्षक के साथ वर्ष में कम से कम एक बार प्रमुख दुर्घटना जोखिम प्रतिष्ठानों का निरीक्षण करते हैं। सभी प्रमुख दुर्घटना जोखिम कारखानों को कार्य-स्थल आपात योजनाएं तैयार करने का निदेश दिये गये हैं। अब तक ऐसी 254 इकाईयों में कार्य स्थल आपात योजनाएं तैयार की गई हैं और नौ जिलों में कलेक्टर या जिलाधीश की अध्यक्षता में जिला आपात योजनाएं तैयार की गयी हैं। जोखिमकारी रसायनों के सुरक्षित प्रबंधन के लिए कारखाना निरीक्षकों की उपस्थिति में प्रमुख दुर्घटना जोखिम इकाइयों में कार्य-स्थल योजनाओं का पूर्वाभ्यास किया जा रहा है और यदि आवश्यक हो तो उनमें सुधार किया जा रहा है।

Restructuring of STC

3481. DR. D. VENKATESHWAR RAO: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) whether Government have studied the restructuring proposals for the State Trading Corporation prepared by the SBI Caps;

(b) if so, the main recommendations made;

(c) the details of restructuring proposals for the State Trading Corporation; and

(d) by what time the same are likely to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI BOLLA BULLI RAMAIAH): (a) and (b) A restructuring proposal for State Trading Corporation (STC) has been prepared by the SBI Caps. The main recommendations in the proposals are:

(1) STC should take on a more active role as a trader for identified commodities.

(2) STC should strengthen its foreign offices.

(3) STC should make investments in productive companies for strengthening its captive supply base.

(c) and (d) The report is under examination and its implementation will arise after a decision is taken.

बंगाल के पटसन उद्योग

3482. श्री विष्णु कान्त शास्त्री: क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक कंपनियों द्वारा भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के नाम पर की जाने वाली कटौती की राशि को जमा नहीं कराया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त मदों में बकाया राशि बंगाल के पटसन उद्योगों के नियोजकों की है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध अब तक क्या कदम उठाए गए हैं;

श्रम मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।